

भूमिका

भारतीय पुलिस अधिनियम सन् 1861 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत सन् 1861 में दिल्ली में 5 थाने (सब्जी मंडी, महरौली, कोतवाली, सदर बाजार और नांगलोई) स्थापित किये गये। 19वीं सदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) शिकस्ता उर्दू में दर्ज की जाती थी जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों का भी इस्तेमाल होता था। ऐसी ही कुछ रोचक F.I.R.s का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। इनका संकलन, शोध कार्य और व्यंग्य चित्रांकन सहायक आयुक्तपुलिस श्री राजेंद्र सिंह कलकल द्वारा किया गया है।



चार आने की जेब तराशी

मुकदमा संख्या-125, धारा-379 भा.द.स., दिनांक-13.12.1894, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- तुलसी वल्द सबी जाट ने शिकायत दर्ज कराई कि मुल्जिम हरवेन्द्र वल्द हरबक्श उसकी जेब से चार आने निकाल रहा था जिसे मुस्समी (श्री) जीत ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

नतीजा मुकदमा- मुल्जिम के एक आदतन अपराधी होने की वज़ह से उसे 2 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। (19.12.1894)

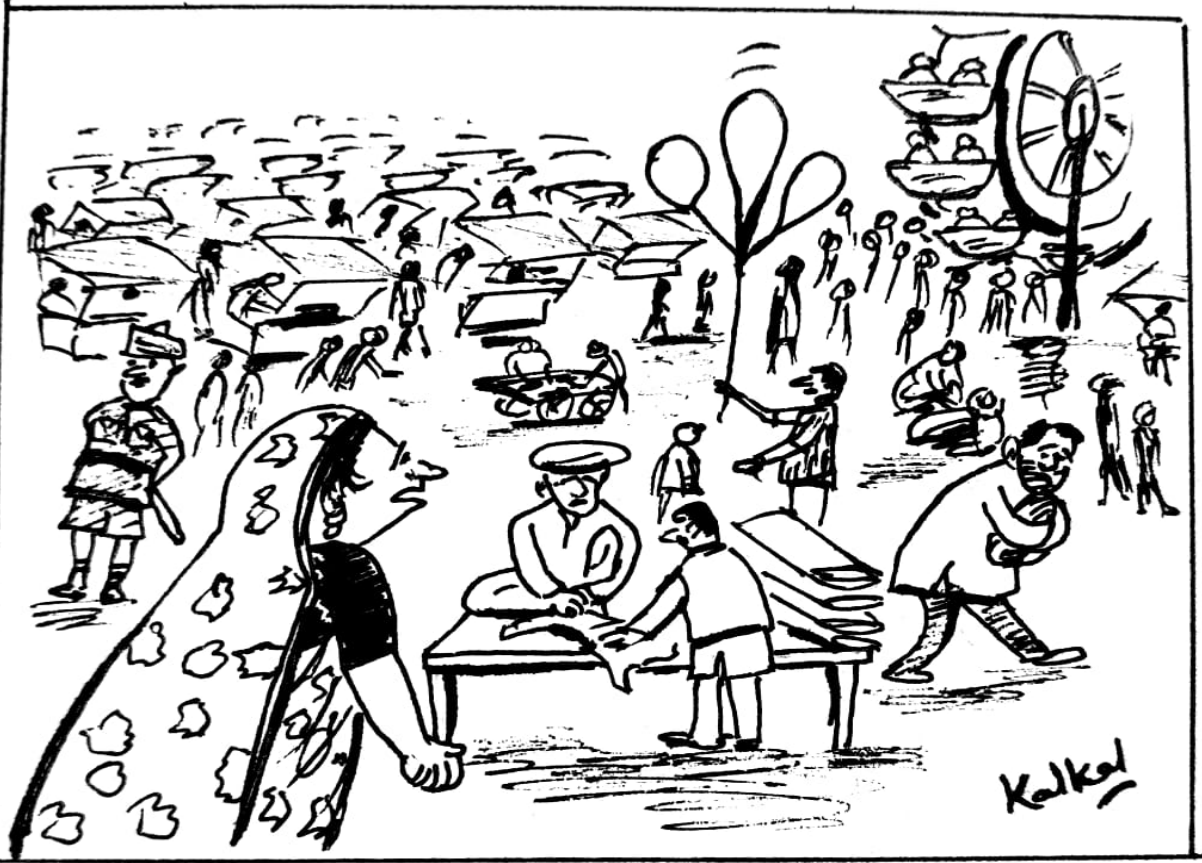


11 संतरे चोरी

मुकदमा संख्या-125, धारा-379 भा.द.स., दिनांक-16.02.1891,
थाना- सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- मुल्जिम राम बक्श वल्द अल्ला बक्श ने अपने चार-
पाँच साथियों के साथ मिलकर मुद्दई राम प्रसाद वल्द दीन सिंह के
11 संतरे चुरा लिए। मुद्दई ने छज्जू की मदद से मुल्जिम राम बक्श
को संतरों के साथ पकड़ लिया और थाने में लाया।

नतीजा मुकदमा- 1 महीने का कठोर कारावास (23.02.1891)



चादर की चोरी

मुकदमा संख्या- 40, धारा-379 भा.द.स., दिनांक- 10.04.1878, थाना-महरौली

संक्षिप्त तथ्य- मुद्दई भमरा वल्द गुरसहाय ब्राह्मण, निवासी बदरपुर, मेले में चादर बेच रहा था। मुल्जिम हीरा सिंह वल्द सैब राम उसकी नज़र बचाकर एक चादर चोरी से ले जाने लगा। मुस्समात (श्रीमती) मुस्समो पुत्री उल उमर ने उसे देख लिया और शोर मचाया। शोर सुनकर कांस्टेबल अकरम नं. 1073 ने उसे 40 कदम की दूरी पर पकड़ लिया।

नतीजा मुकदमा- मुल्जिम को 5 बेंत मारकर रिहा किया जाये।
(11.04.1878)



एक थाली की चोरी

मुकदमा संख्या-2/32, धारा-379 भा.द.स., दिनांक-29.09.1873, थाना-महरौली

संक्षिप्त तथ्य- मुद्दई नन्हे वल्द शम्भू भान हलवाई ने मुल्जिम कुल्लू वल्द मायका माली पर आरोप लगाया कि उसने उसकी एक थाली, जिसकी कीमत एक रुपया थी, चुरा ली। मुद्दई ने मुल्जिम को मय थाली पकड़ कर थाने में पेश किया।

नतीजा मुकदमा- एक महीने का कठोर कारावास। (16.10.1873)



रजाई और एक जूता चोरी

मुकदमा संख्या- 9/189, धारा- 382 भा.द.स., दिनांक-
11.12.1877, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- मुद्दई पचेतराम पुत्र श्री दर्शन उम्र 45 साल ने हाजिर थाना आकर बयान किया कि उसे जेमत साहब बहादुर की बोरियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। कल रात जब वह उन बोरियों पर सो रहा था तो एक शख्स आकर उसकी रजाई खींचने लगा। उसने रजाई नहीं छोड़ी। वह शख्स उस वक्त वहां से चला गया मगर बाद में वह अपने कुछ और आदमी लेकर आया। उन्होंने उसके साथ मार-पिट्टाई की और उसकी रजाई और एक जूता छीन कर भाग गये।

नतीजा मुकदमा- Untraced

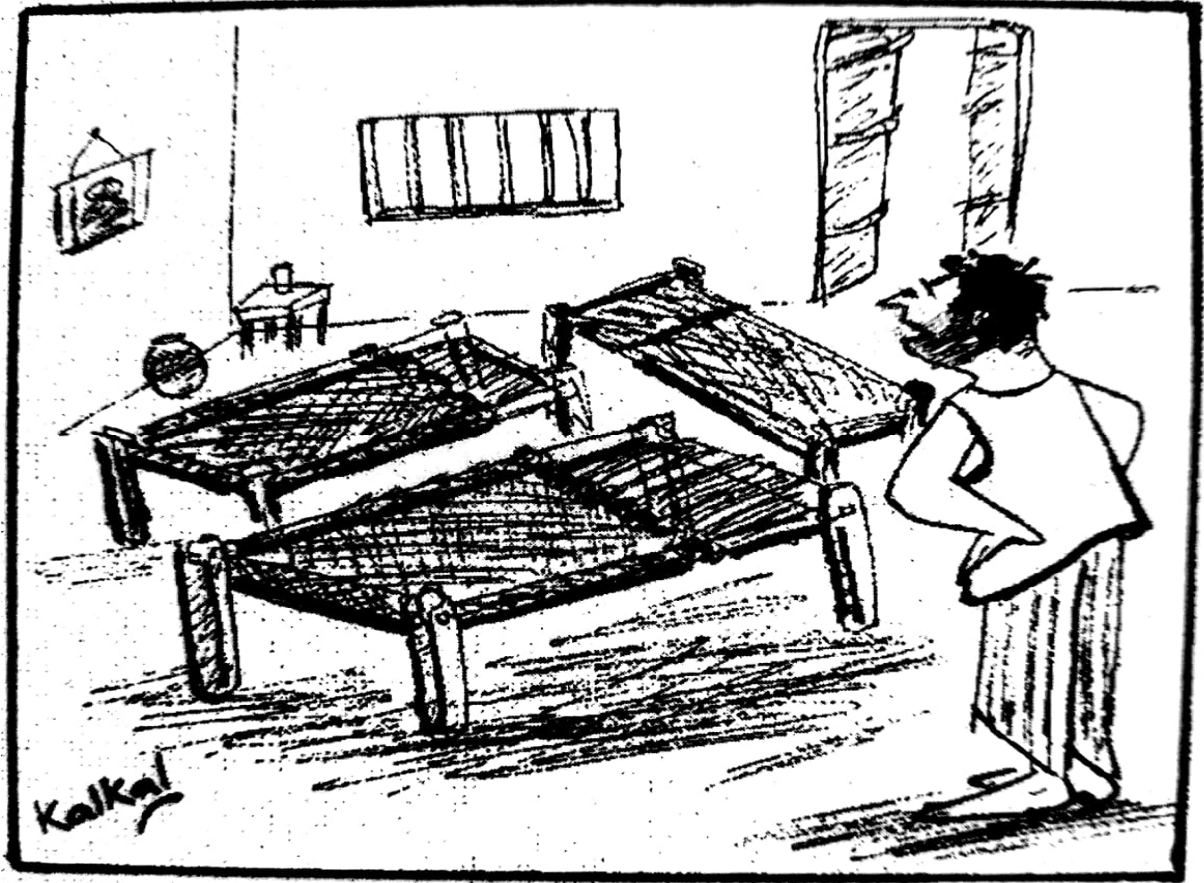


एक रूपये के पेड़ की चोरी

मुकदमा संख्या- 1/45, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 01.10.1899, थाना- अलीपुर

संक्षिप्त तथ्य- मुल्जिम टोरी वल्द सौंडू चौहान ने एक रूपये का पेड़ (कीकर) सरकारी सड़क से काट कर अपने खेत में छुपा लिया जिसे इकराम अली नम्बरदार की निशानदेही पर बरामद किया गया ।

नतीजा मुकदमा- 5 रूपये जुर्माना (02.10.1899)



बिस्तरे चोरी

मुकदमा संख्या-02, धारा-380 भा.द.स., दिनांक 03.1.1876, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- मोहम्मद खान वल्द जुम्मा खान ने शिकायत दर्ज कराई कि पिछली रात शेरा, कालू खान और मोहम्मद खान उसके घर आये और कहने लगे कि वे आराम करना चाहते हैं। उसने उन्हें बिस्तरे दे दिए और अपने ही घर में एक कमरे में सुला दिया। सुबह वे तीनों आदमी बिस्तरों समेत गायब मिले।

नतीजा मुकदमा- 3 महीने का कठोर कारावास।



तीन आने का कुल्ला (पगड़ी के नीचे लगने वाला) चोरी

मुकदमा संख्या- 5/10, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 30.03.1879,
थाना-अलीपुर

संक्षिप्त तथ्य- कल्लू वल्द जुमला ने शिकायत दर्ज कराई कि मुल्जिम शिवलाल वल्द सुक्खा उसकी दुकान में कुल्ला खरीदने की नीयत से आया। उसने एक कुल्ला तो चोरी कर लिया और दूसरा खरीदने बैठ गया। जब दुकानदार ने पहले वाला कुल्ला देख लिया तो वह भागने लगा जिसे 5-6 कदम की दूरी पर ही पकड़ लिया।

नतीजा मुकदमा- 5 बैत मारकर रिहा किया जाये (04.04.1879)



टट्टू (खच्चर) की चोरी

मुकदमा संख्या- 44, धारा- 381 भा.द.स., दिनांक-30.04.1895, थाना-
सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- मोका बल्द नलवा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका टट्टू
चोरी हो गया है। उसने यह भी बताया कि उसका पूरा शक उसके पुराने
नौकर फूला पर है।

नतीजा मुकदमा- उल्लेख नहीं।



बकरी चोरी

मुकदमा संख्या- 1/04, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 01.01.1899, थाना- नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य- मखमूल वल्द रामपाल ने शिकायत दर्ज कराई कि कल वह अपनी बकरियाँ ले जा रहा था। रास्ते में आँधी आ गई और वह एक तरफ बैठ गया। बाद में उसने देखा कि उसकी एक बकरी को बदलू और गुल्लड़ उठा कर ले जा रहे हैं। उसने अपनी बकरी छीन ली और शोर मचा दिया। शोर सुनकर लोग इक्कठा हो गए और वो दोनों भाग गए।



बैल की चोरी

मुकदमा संख्या- 42, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 12.12.1898,
थाना-नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य- मेहर चंद वल्द माटे जाट ने शिकायत दर्ज कि वह नानक चंद के साथ अपने कोल्हू पर सो रहा था। रात में नानक चंद ने उसे उठाकर बताया कि उसका एक बैल गायब है। दोनों बैल को ढूँढने के लिए दौड़े। कुछ ही दूर पर उन्होंने मुल्जिम को बैल के साथ पकड़ लिया। वह मुल्जिम और बैल दोनों को कोल्हू पर बाँध कर रिपोर्ट लिखवाने आया है।



धोखे बाजी

मुकदमा संख्या- 5/85, धारा- 420 भा.द.स., दिनांक- 09.06.1905, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- शिवा वल्द हरदेव ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने एक रिश्तेदार फत्ते को कहा कि मेरी शादी करवा दो। दो महीने बाद फत्ते रूपराम को लेकर उसके घर आया। रूपराम ने कहा कि उसकी लड़की 16 साल की है और वह 20/- रुपये में उस से उसकी शादी करवाने को तैयार है। उसने रूपराम को 20/- रुपये दे दिए और शादी तय हो गई। चार दिन बाद जब वह रूपराम के घर बारात लेकर गया तो दुल्हन के नाम पर उसे शादी के जोड़े में एक अधेड़ उम्र की औरत दिखाने लगा। कुछ देर बाद वह औरत भी गायब हो गयी। अब उसे पता चला है कि रूपराम की कोई लड़की ही नहीं है। मैंने खेम चंद से पैसे उधार लिए थे। चार दिन से बारात आई हुई है। रूपराम न तो मेरे पैसे वापस कर रहा है और न ही मेरी शादी करवा रहा है।

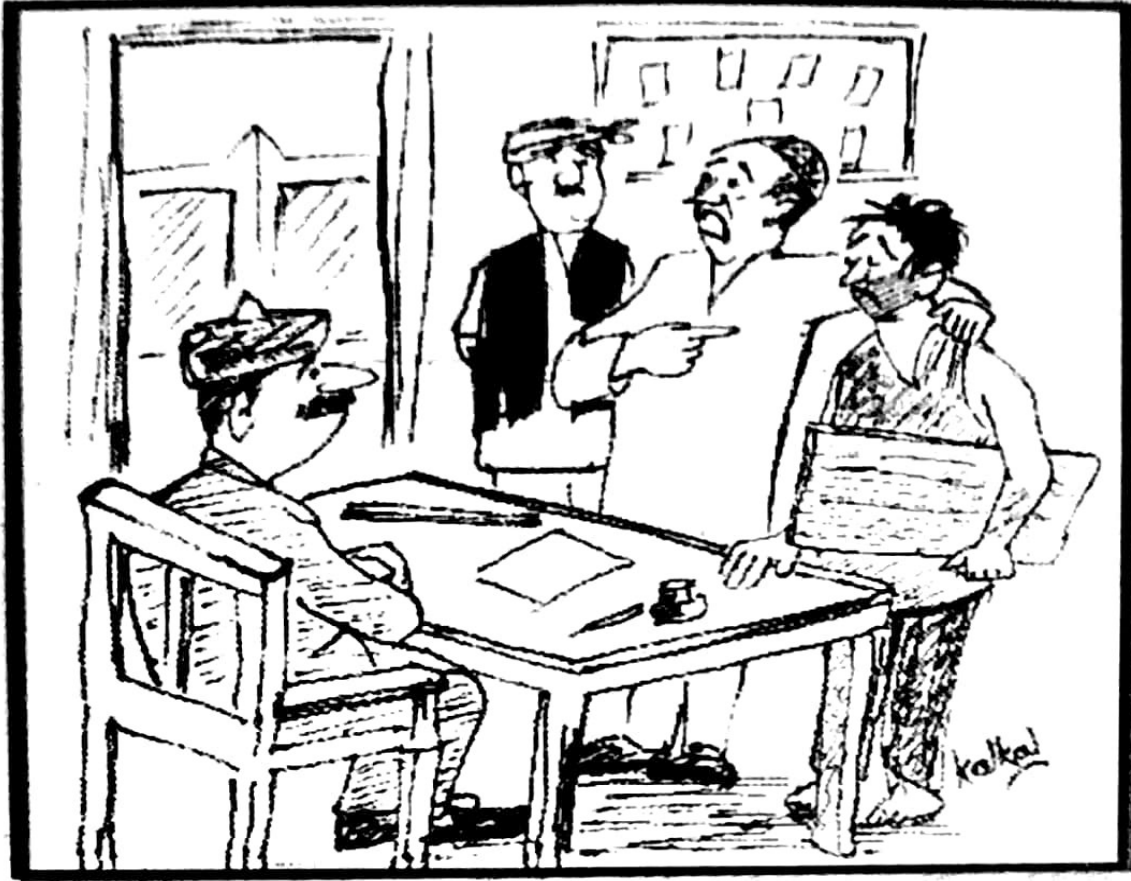


केले के 2 गुच्छे चोरी

मुकदमा संख्या- 2/46, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 06.10.1899, थाना- अलीपुर

संक्षिप्त तथ्य- मुद्दई मोहन वल्द लक्ष्मण, जात-माली, गाँव- बाग शालीमार ने शिकायत दर्ज कराई कि सतीरा वल्द मानक, गाँव हैदरपुर ने उसके बाग से केले के दो गुच्छे चोरी कर लिए।

नतीजा मुकदमा- अदालत ने मुजरिम से एक आना वापस कराया (07.10.1899)



लकड़ी का तख्ता चोरी

मुकदमा संख्या- 10/10, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 20.01.1896, थाना- सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- सुल्लड़ वल्द मवासी ने खलीलुल रहमान वल्द नबी बक्श के घर के दरवाजे से एक चौबी (लकड़ी का तख्ता), कीमत 8 आना, चुरा लिया जिसे नूर मोहम्मद धोबी ने चुराते हुए देख लिया। खलिलुल रहमान ने मुल्जिम को चोरीशुदा माल के साथ पकड़ कर थाने में पेश किया।

नतीजा मुकदमा- 2 माह की कैद (28.01.1896)

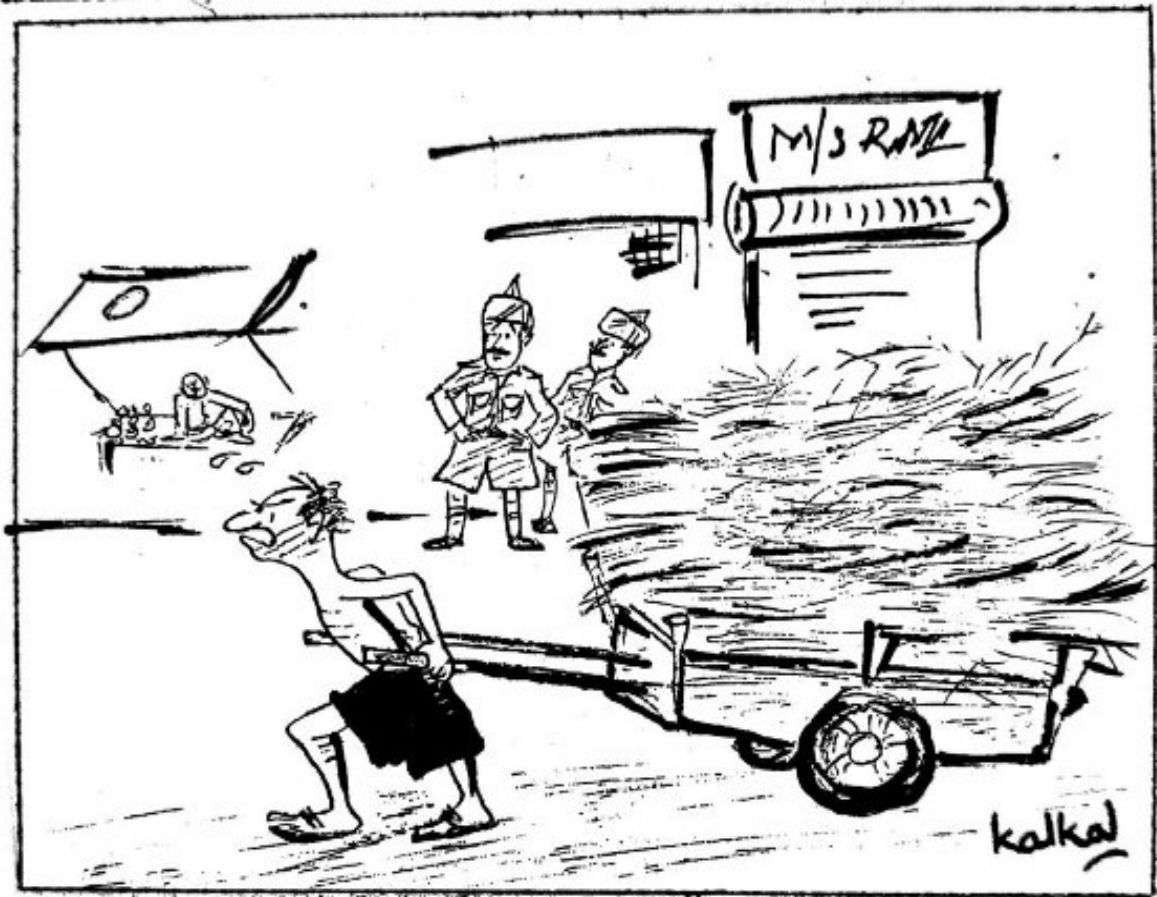


सिगार और शराब की चोरी

मुकदमा संख्या- 29, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 24.02.1897, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- इमपेरियल होटल का एक कुक (cook) थाना में आया और उसने केवल साहब सौदागर का अंग्रेजी में लिखा हुआ एक खत पेश किया। खत के अनुसार कल किसी ने उसके होटल के कमरे से एक सिगार का आधा पैकेट और एक शराब की बोतल चुरा ली। जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 10 रुपये का इनाम दिया जायेगा।

नतीजा मुकदमा-Untrace



3 बोरी अनाज की तस्करी

मुकदमा संख्या- 293, धारा- 7/24/46 Standing Ordinance,

दिनांक- 23.08.1947, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- कांस्टेबल प्यारे लाल और कांस्टेबल सदा अली अपनी आम गश्त पर थे । शाम करीब सवा 6 बजे जब वे रोबिन टाकीज के पास थे तो उन्होंने गोविन्द राम वल्द राम दयाल को सब्जी मंडी की तरफ अपना ठेला खींचते हुए देखा । हालाँकि अपने ठेले में वह सिर्फ भूसा ले जा रहा था, उसे खींचने में वह बहुत जोर लगा रहा था । कांस्टेबलों को शक हुआ और तलाशी में भूसे के नीचे अनाज की तीन बोरी मिली जिनमें 2 बोरी गेहूँ भी था और अकाल वाले क्षेत्र में गेहूँ के व्यापार पर प्रतिबन्ध था ।



110 बकरियों की चोरी

मुकदमा संख्या- 13, धारा- 392 भा.द.स., दिनांक- 03.01.1862, थाना- महरौली

संक्षिप्त तथ्य- साराबिन वल्द कल्लू वल्द राम दास ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी 110 बकरियों को पानी पिलाने के लिए गुडगाँव जंगल में ले जा रहा था। तभी भोला, ननवा, मोहन और असरन आये और उसे तमाचा मारकर उसकी बकरियां ले गये।



4 आने के 104 कबूतर चोरी

मुकदमा संख्या- 11, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 24.01.1895.
थाना-नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य- राम चंदर वल्द मनोहर लाल ने शिकायत दर्ज कराई कि दो आदमियों ने उसके घर से 104 कबूतर चुरा लिए। उसे शक है कि इस चोरी के पीछे उसके पुराने नौकर कुतुबुदिन का हाथ है क्योंकि उसे घर के बारे में सब पता था।



सब्जी की चोरी

मुकदमा संख्या- 3/112, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 11.12.1889,
थाना-नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य- अब्दुल रहमान वल्द अमाम अल्लाह ने शिकायत दर्ज कराई कि चुन्ना वल्द हुकमा उसके खेत से गोभी (सब्जी) चोरी कर रहा था। मुद्दई ने मुल्जिम को सब्जी तोड़ते हुए पकड़ लिया और 24 गोभी के साथ थाने में लाया।

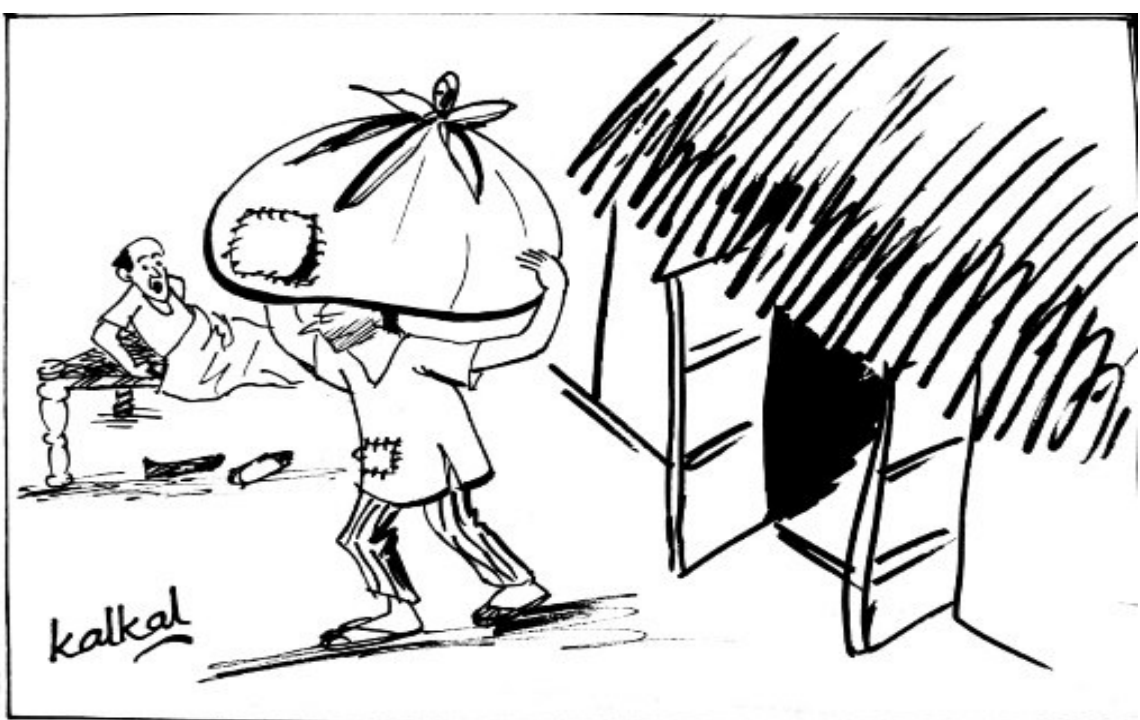
नतीजा मुकदमा- एक महीने का कठोर कारावास (15.12.1889)



कपड़े व जेवर लेकर फरार

मुकदमा संख्या- 54, धारा- 406/420 भा.द.स., दिनांक- 13.07.1956,
थाना-नरेला

संक्षिप्त तथ्य-मुस्समात (श्रीमती) रत्ना पत्नी जागे राम जाट बवाना की ओर जा रही थी। तभी मुल्जिम मांगे अपनी साइकिल पर आया और उसे बवाना छोड़ने के नाम पर अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने से मुस्समात रत्ना को साइकिल से उतार दिया और उसकी गठरी लेकर फरार हो गया जिसमें कपड़े और गहने थे। एक दूसरा साइकिल सवार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने मुल्जिम का पीछा करके उसे गठरी के साथ पकड़ लिया। मुल्जिम की साइकिल भी थाना पहाड़गंज से चोरी की मिली।



चार आने का भूसा चोरी

मुकदमा संख्या- 1/8, धारा- 379 भा.द.स., दिनांक- 04.03.1896, थाना- नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य- गरीबा वल्द हरिया जाट ने शिकायत दर्ज कराई कि रात को एक नौजवान उसके घर से एक चादर की गठरी बाँध कर ले जा रहा था। वह 10 कदम की दूरी पर सो रहा था। उसकी आँख खुल गयी और उसने उसे पकड़ कर शोर मचा दिया। आवाज सुनकर भक्ता चौकीदार भी आ गया। मुल्जिम सुरजन वल्द नानक था जो चादर की गठरी में भूसा (कीमत चार आना) चुराकर जा रहा था।

नतीजा मुकदमा- एक महीने का कठोर कारावास या 5 रुपये जुर्माना और एक सप्ताह की कैद (09.03.1896)



एक पूली बाजरा चोरी

मुकदमा संख्या- 1/21, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 07.10.1895.
थाना-महरौली

संक्षिप्त तथ्य- लाल चंद वल्द माल सिंह गुर्जर ने शिकायत दर्ज कराई कि हीरा सिंह उसके खेत से एक पूली बाजरा (कीमत चार आना) उठा कर भाग रहा था, जिसे उसने बाद में चौकीदार की मदद से पकड़ लिया।

नतीजा मुकदमा- मुल्जिम बरी (29.10.1895)



चोरी का लोटा बरामद

मुकदमा संख्या- 1/22, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 04.02.1892
थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य- मुद्दई वजीरुलुद्दीन वल्द मन्शेकलन मुल्जिम खुदा बक्श को बमय लोटा पकड़ कर थाने में लाया और बताया कि उसका लोटा चोरी हो गया था जो खुदा बक्श के पास मिला है। मुल्जिम खुदा बक्श ने बताया कि उसने तो यह लोटा चावड़ी बाजार से खरीदा था और उसे नहीं पता था कि ये चोरी का है।



गेंहू मय बर्तन चोरी

मुकदमा संख्या- 2/37, धारा- 380/411 भा.द.स., दिनांक- 03.09.1899
थाना-अलीपुर

संक्षिप्त तथ्य- गोपाल दत्त वल्द बरकी राम गाँव बवाना ने शिकायत दर्ज कराई कि मुल्जिम ताविर वल्द सुन्दर रात 12 बजे उसके घर से गेहूँ के बर्तन समेत गेहूँ (कीमत एक रुपया 14 आना) ले जा रहा था, जिसे उसने पकड़ा और चौकीदार के हवाले किया, जिसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

नतीजा मुकदमा- 10 दिन तड़ीपार (05.09.1899)



एक हुक्का चोरी

मुकदमा संख्या-6/39, धारा- 379, भा.द.स., दिनांक- 20.09.1898,
थाना-नांगलोई

संक्षिप्त तथ्य-बदलू वल्द श्री दाना जाट, निवासी मुंडका ने थाना में आकर बयान किया कि वह चौपाल में चारपाई पर लेटा हुआ था। मुल्जिम हरनाम आया और उसका हुक्का उठाकर भागने लगा जिसे 500 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। हरनाम ने थाना में कहा कि उसे माफ कर दो, उस वक़्त उसका दिमाग खराब हो गया था।

नतीजा मुकदमा-2 सप्ताह का कठोर दंड (27.09.1898)



भैंस की चोरी

मुकदमा संख्या- 3/47, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 11.06.1870,
थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य-मुद्दई राम चंदर वल्द उदमी राम ने शिकायत दर्ज कराई कि मुल्जिमान सिकंदर वल्द बोबी व नाराब वल्द सीरा ने उसकी एक भैंस चुरा ली है जिसका रंग काला, माथा सफेद व पूँछ लंबी है।

नतीजा मुकदमा-दोनों मुल्जिमान को एक-एक माह की कैद

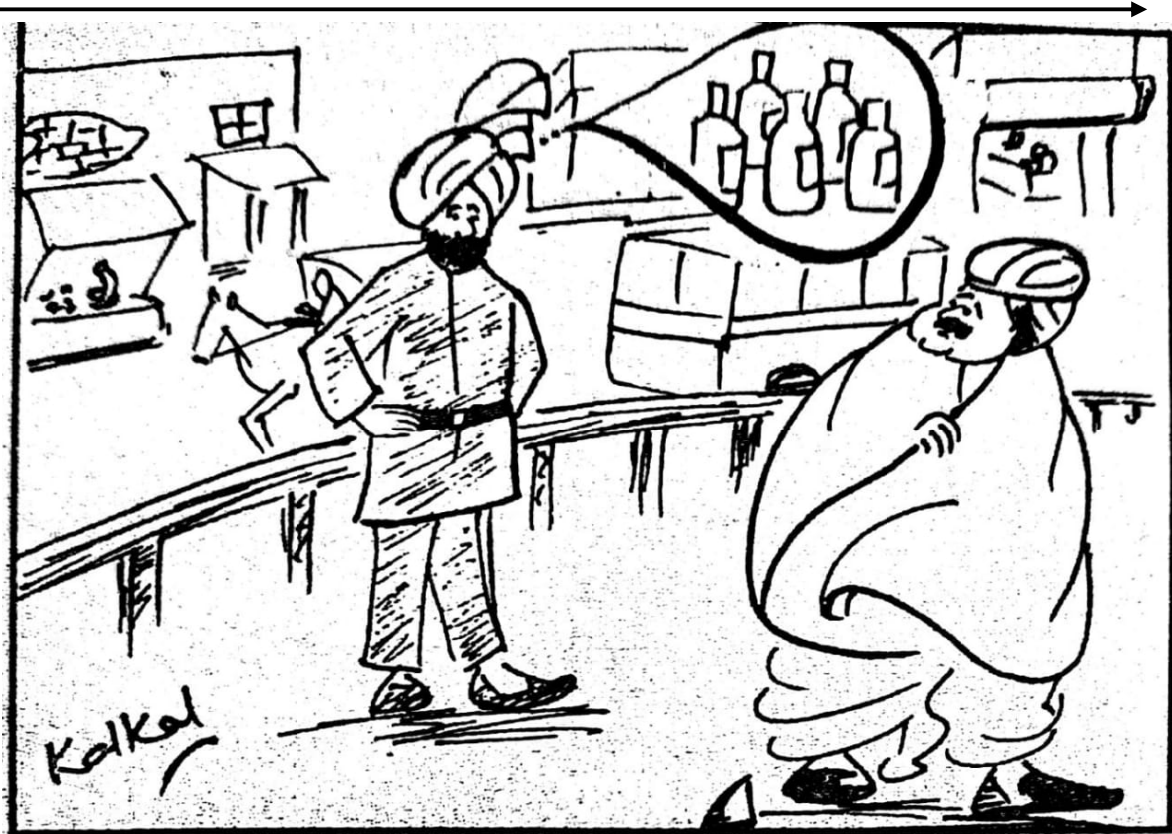


गाटर की चोरी

मुकदमा संख्या-5/24, धारा- 380 भा.द.स., दिनांक- 18.04.1900,
थाना-अलीपुर

संक्षिप्त तथ्य-मुद्दई हरफूल वल्द नसामुल, निवासी कुतुबगढ़ ने शिकायत दर्ज कराई कि मुल्जिमान मुकेश वल्द हाजु और सुखबीर वल्द जसरत ने उसके घर से एक लोहे का गाटर, जिसकी कीमत 11 रुपये है, चोरी कर लिया है।

नतीजा मुकदमा-अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 20-20 कोड़े मारने का आदेश दिया।(20.04.1900)



शराब की बरामदगी

मुकदमा संख्या-15, धारा- 4A, Spl. Act 1881, दिनांक- 18.01.1897
थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य-रहीम बक्श चपरासी की सूचना पर मुल्जिम उदमी वल्द जीता को दो बोतल, एक अब्बा और एक पव्वा के साथ पुल मिठाई पर पकड़ा गया। उसने ये बोतलें अपनी कमर पर बाँध कर अपने ऊपर रजाई डाल रखी थी।

नतीजा मुकदमा-3 सप्ताह का कठोर कारावास (03.02.1897)



पल्लड़ (सूत का बना मोटा कपड़ा) की चोरी

मुकदमा संख्या -137/5, धारा-379 भा.द.स., दिनांक- 26.11.1896, थाना-सब्जी मंडी

संक्षिप्त तथ्य - हीरा वल्द रणजीत, जात- राजपूत, तेलीवाड़ा में शाम 4 बजे खराद का काम कर रहा था। तभी मुल्जिम अब्दुल्ला वल्द हुसैनी मौका देख कर पास ही रखा दोहर गाड़ा (पल्लड़), कीमत 2 रूपए 4 आना उठाकर भागने लगा जिसको हीरा ने लोगों की मदद से 100 कदम की दूरी पर पकड़ लिया और थाने में पेश किया।

नतीजा मुकदमा- 1 साल की कैद या 3 महीने की कैद और 10 रूपए जुर्माना। (30.11.1896)